(ख) से (ङ) झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का झंडा, स्वराज राईफल बटालियन से संबंधित है और इसे बटालियन के संबंधित रइअर ,ष्से इसे बटालियन द्वारा 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान झांसी के किले से, अपने अधिकार में लिया गया था। अक्तूबर, 1977 में 5वां राइफल बटालियन द्वारा इस झंडे को राजपूत राईफल बटालियन रेजीमेन्टल सन्टर (आर. आर. आर. सी.) दिल्ली कैन्ट, नई दिल्ली में भेज दिया गया था, जहां से इसे चुरा लिया/उठा लिया गया। तद्नुसार, सेना द्वारा एक जांच की गयी, लेकिन कोई सुराग एकत्र नहीं किया जा सका और इसलिये मामला जांच-पड़ताल के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया और 6-12-88 को एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. आर.सी. 7/88-एस.आई.यू. (XI) दर्ज किया गया।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारत में और विदेशों में विस्तृत जांच पड़ताल की गयी। चूंकि झंडे के गायब हो जाने के लिये उत्तरदायी, आर.आर.आर. सेन्टर में या बाहर, किसी व्यक्ति की पहचान के लिये सबूत नहीं मिले। इसलिये मामले को बंद कर दिया गया। 11-4-91 को मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में मामले को बन्द करने की एक रिपोर्ट दायर की गयी थी। मामला विचाराधीन है।

Special drive to round up militants in Kashmir

235. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any special drive to round up militants in Kashmir and to unearth their hideouts was launched following the Hazratbal embroglio;

(b) if so, the number of militants killed and apprehended as a result thereof the details of hideouts unearthed and the arms and ammunition seized from them eversince then; and

(c) whether a large number of mercenaries of Pakistan from various Muslim countries, such as Iran, Afghanistan and Sudan were found to be actively involved in militancy in the Valley, if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) Yes Sir.

(b) As a result of anti-militancy operations, a total of 94 hideouts of militants have been unearthed, 921 militants were killed and 2880 were apprehended from 16.11.1993 to 15.7.1994. A large quantity of arms and ammunitions has also been seized which include 1391 AK rifles, 776 Pistols/revolvers. 1555 grenades, 77 UMGs, 1951 detenators, 238 rockets, 84 rocket launchers, 19 Sniper rifles, 494 mines, 103 IODs and other ammunition and explosives.

(c) Foreign mercenaries from various countries including Pak, Afghanistan, Sudan, Bahrain, Egypt, Lebanon, etc. are reported to be actively involved in militant activities in the State of Jammu & Kashmir, but their precise number is not known, which keeps changing depending upon their

strategy and pressure exerted by the security forces.

Autonomy to tribal areas in Madhya Pradesh

236. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any proposal was made by Government of Madhya Pradesh to enforce the Sixth Schedule of the Constitution, providing autonomy to the Tribal areas in the State;

(b) if so, which areas are proposed to be covered by by the autonomous council contemplated to be constituted in that State; and what are the other details of the scheme; and

(c) what is Government's decision in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) No, Sir.
(b) and (c) Do not arise.

गृह मंत्री द्वारा लिखे गए गोपनीय पत्र से संबंधित समाचार

237. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जुलाई, 1994 के एशियन एज नामक समाचार में प्रकाशित इस आशय का समाचार सत्य है कि गृह मंत्री द्वारा जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल को लिखा गया एक गोपनीय पत्र आतंकवादियों के हाथ लग गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये दोषी व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इसके लिये दोषी पाये गये व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को दण्डित किया गया है ; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न होने देने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) सरकार को, प्रश्नाधीन समाचार की जानकारी है । जम्मू व काश्मीर राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाने को कहा गया है ताकि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृति को रोकने के लिये उपर्युक्त कार्रवाई की जा सके ।

"इंटरपोल" से सहायता की मांग किया जाना

238. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री अनन्तराम जायसवाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "इन्टरपोल" खूंखार अपराधियों के सरगना "बबलू" उर्फ ओम प्रकाश श्रीवास्तव सहित कुछ अपराधियों की तलाश कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अपराधियों की संख्या कितनी है तथा क्या सरकार ने खूंखार अपराधी सरगना "बबलू" का पता लगाने, उसे स्वदेश वापस लाने के लिये अब तक कोई कदम उठाये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) और (ख) इन्टरपोल, ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू की तलाश में नहीं है।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को, श्री एल०डी० अरोड़ा, अतिरिक्त समाहर्ता (सीमा शुल्क) इलाहाबाद की हत्या के मामले , आर०सी० 10 (एस./93 में, जिनकी 24.3.93 को उनके घर के सामने हत्या कर दी गयी थी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू की तलाश है। उपर्युक्त मामले के अलावा, उत्तर प्रदेश